न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
018/2022(रसद) (GCMS 2022/322)	14.09.2022	30.01.2024

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. रतनलाल पिता चुन्नीलाल खटीक निवासी गिलुण्ड हाल सुरजपुरा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
2. नारायण लाल पिता रतनलाल ढोली निवासी दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (**कार्यवाही ड्रॉप**)

विपक्षीगण

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी एक तरफा — पैरोकार सरकार विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 25.05.2000 को रात्रि 12.30 बजे पुलिस उप अधीक्षक कपासन को जरिये मुखरि सूचना मिली की सुरजपुरा चौराहा थाना आकोला में एक दुकान में आग लग गई है। मौके पर जांच करने पर जाहिर आया कि विपक्षी संख्या 1 जो कि गिलुण्ड जिला राजसंमद रहने वाला है जिसने सुरजपुरा चौराहा पर एक एसटीडी का बुथ व टायरों में हवा भरने की दुकान लाग रखी है। जिसके पास अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की गंध आने पर जांच करने पर पाया कि विपक्षी की दुकान के अन्दर पडे ड्रम में 55 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था। दुकानदार को वैध लाईसेंस के विषय में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कोई वैध लाईसेंस नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त 55 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं इसके नाम 5–5 लीटर के दो माप एवं 1 लीटर का एक माप जब्त किया गया है। इस बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट 106/2000 दिनांक 25.05.2000 को अन्तर्गत धारा 3/7 ईसी एक्ट व मोटर स्पिरिट व हाई स्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

प्रिवेन्शन ऑफ मालप्रैक्टिस) आदेश 2005 के अन्तर्गत ड्रम में जब्त 55 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के लिये चालान तैयार कर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपासन के न्यायालय में तत्समय प्रस्तुत किया गया किन्तु माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं आने से उनके द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 164/2001 दिनांक 08.07.2022 से सक्षम न्यायालय से निस्तारण की कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय आदेश की पालना में पुलिस थाना आकोला द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 996 दिनांक 10.07.2022 को माल निस्तारण हेतु आप श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय को पत्र पृष्टांकित किया गया है। अतः दिनांक 25.05.2000 को विपक्षी रतनलाल पिता चुन्नीलाल खटीक निवासी गिलुण्ड हाल सुरजपुरा से जब्तशुदा 55 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम राजसात करने हेतु न्यायालय आप में प्रस्तुत है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना–पत्र जारी किये गये। दिनांक 05.07.2023 को विपक्षी संख्या 1 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 30.01.2024 को विपक्षी संख्या 2 के फौत हो जाने से विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त किये जाने का आदेश दिया गया। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार ने प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एकतरफा सुना गया। पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि दिनांक 25.05.2000 को रात्रि 12.30 बजे पुलिस उप अधीक्षक कपासन को जरिये मुखरि सूचना मिली की सुरजपुरा चौराहा थाना आकोला में एक दुकान में आग लग गई है। मौके पर जांच करने पर जाहिर आया कि विपक्षी संख्या 1 जो कि गिलुण्ड जिला राजसंमद रहने वाला है जिसने सुरजपुरा चौराहा पर एक एसटीडी का बुथ व टायरों में हवा भरने की दुकान लाग रखी है। जिसके पास अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की गंध आने पर जांच करने पर पाया कि विपक्षी की दुकान के अन्दर पडे ड्रम में 55 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था। दुकानदार को वैध लाईसेंस के विषय में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कोई वैध लाईसेंस नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त 55 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं इसके माप 5–5 लीटर के दो माप एवं 1 लीटर का एक माप जब्त किया गया है। इस बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट 106/2000 दिनांक 25.05.2000 को अन्तर्गत धारा 3/7 ईसी एक्ट व मोटर स्पिरिट व हाई स्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ मालप्रैक्टिस) आदेश 2005 के अन्तर्गत ड्रम में जब्त 55 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के लिये चालान तैयार कर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपासन के न्यायालय में तत्समय प्रस्तुत किया गया किन्तु माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं आने से उनके द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 164/2001 दिनांक 08.07.2022 से सक्षम न्यायालय से निस्तारण की कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय आदेश की पालना में पुलिस थाना आकोला द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 996 दिनांक 10.07.2022 को माल निस्तारण हेतु आप श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय को पत्र पृष्टांकित किया गया है। अतः दिनांक 25.05.2000

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को विपक्षी रतनलाल पिता चुन्नीलाल खटीक निवासी गिलुण्ड हाल सुरजपुरा से जब्तशुदा 55 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम राजसात करने हेतु न्यायालय आप में प्रस्तुत है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। सुनी गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख कर भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज, लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किये गये है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 55 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय मय ड्रम एवं माप 5–5 लीटर के दो माप एवं 1 लीटर का एक माप राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौड़गढ़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट 106/2000 दिनांक 25.05.2000 में जब्तशुदा 55 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय मय ड्रम एवं माप 5–5 लीटर के दो माप एवं 1 लीटर का एक माप को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 55 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय मय ड्रम एवं माप 5–5 लीटर के दो माप एवं 1 लीटर का एक माप को थानाधिकारी, पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी आकोला चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.01.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official